//मेल//

कार्यालय मुख्य अभियन्ता(स्तर–1)
ग्रामीण निर्माण विभाग,
तपोवन मार्ग,रायपुर रोड,उत्तराखण्ड–देहरादून।

पत्रॉकः– 485 /ग्रा0नि0वि0/पंजी0/2021–22/ दिनांकः 15 :जूनः 2021.

कार्यालय ज्ञाप

विभाग के अन्तर्गत श्रेणी–ए में सम्पूर्ण उत्तराखण्ड एवं श्रेणी–बी में गढवाल मण्डल के अन्तर्गत स्थापित खण्डों के विभिन्न निर्माण कार्यों हेतु ठेकेदारों/फर्मों का पंजीकरण अधोहस्ताक्षरी के स्तर से किया जाता है। विभिन्न ठेकेदारों/फर्मों के पंजीकरण की अवधि दिनॉक 30.06.2021 को समाप्त हो रही है, जिनका नवीनीकरण किया जाना है।

कोविड–19 महामारी के दृष्टिगत अधोहस्ताक्षरी के स्तर से किये जाने वाले पंजीकरण, जिनकी अवधि दिनॉक 30.06.2021 को समाप्त हो रही है, की समय अवधि को दिनॉक 30.09.2021(तीन मांह) तक के लिये विस्तारित किया जाता है।

उक्त आदेश तत्काल प्रभावी होंगे तथा पंजीकरण के नवीनीकरण हेतु शेष शर्तें यथावत् रहेंगी।

ह0/–
मुख्य अभियन्ता(स्तर–1)
ग्रामीण निर्माण विभाग,
उत्तराखण्ड–देहरादून।

पत्रॉक एवं दिनॉक उक्तानुसार।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु इस निर्देश के साथ प्रेषित कि अपने कार्यक्षेत्र के अन्तर्गत उक्त श्रेणी के समस्त पंजीकृत फर्म/ठेकेदारों के मध्य उक्त कार्यालय ज्ञाप की जानकारी प्रचारित किया जाना सुनिश्चित करें:–

1– समस्त अधिशासी अभियन्ता,ग्रामीण निर्माण विभाग,उत्तराखण्ड।
2– समस्त अधीक्षण अभियन्ता,ग्रामीण निर्माण विभाग,उत्तराखण्ड।
3– मुख्य अभियन्ता(स्तर–2) ग्रामीण निर्माण विभाग, कुमायूँ मण्डल–नैनीताल(स्थित भीमताल)।
4– विभागीय वेबसाइट पर अपलोड किये जाने हेतु।
5– कार्यालय नोटिस बोर्ड पर चस्पा करने हेतु।

15.6.21
मुख्य अभियन्ता(स्तर–1)
ग्रामीण निर्माण विभाग,
उत्तराखण्ड–देहरादून।